

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कू.स./स्था.दो/2021/4805

दिनांक: 24/03/2021

आदेश

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. सी 3-13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 में निहित निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत स्व. श्री हेमन्त कुमार जोशी, सहायक वर्ग-2, कृषि महाविद्यालय, इंदौर का आकस्मिक निधन दिनांक 31.01.2020 को होने के फलस्वरूप इनके पुत्र श्री चेतन जोशी की अनुकम्पा नियुक्ति सहायक ग्रेड-3 के पद पर पे बैंड रु. 5200-20200+1900 (7 वेतनमान लेवल-4) में परिवीक्षा अवधि पर वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टापेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अन्तर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 (तीन) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन की जाकर पदस्थापना उपस्थिति दिनांक से कार्यालय अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, खण्डवा के अधीन की जाती है।

नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबंध निम्नानुसार हैं-

1. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
2. उक्त शपथ-पत्र के अतिरिक्त सेवा में उपस्थिति प्रस्तुत करने के समय आपको यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा की पूर्व से आप शासकीय सेवा में नहीं है और न ही दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा/निगम, मण्डल परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नहीं है। आप दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण-पोषण करेंगे। उपरोक्तानुसार उक्त बिन्दुओं का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आपकी उपस्थिति मान्य की जा सकेगी। शपथ-पत्र एवं उक्त बिन्दुओं की जानकारी न देने के अभाव में आपका अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वयं निरस्त माना जावेगा।
3. कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों सहित पदस्थी कार्यालय में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर किसी अन्य पद पर नियुक्ति का निवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा और न ही अनुकम्पा नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित की जावेगी। यह नियुक्ति आवेदक द्वारा लिखित सहमति के आधार पर दी जा रही है।
5. नियुक्ति के पश्चात् चरित्र सत्यापन में यदि यह पाया जाता है कि वह शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है तो उसे दी गई अनुकम्पा नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
6. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जाती है कि आवेदक दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यह प्रमाणित हो जावेगा कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जावेगी।
7. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता जमा कराने पर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं, तो यह समझा जावेगा कि इन्होंने इस अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उन्हें एक माह का या नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम हो, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ता का भुगतान करना होगा।
8. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जा रही है कि चयनित अविवाहित व्यक्ति द्वारा निर्धारित आयु के बाद ही विवाह किया है। यदि यह पाया गया कि संबंधित चयनित व्यक्ति द्वारा न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया गया हो तो उसका/उसकी अनुकम्पा नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
9. कोई भी चयनित उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी कोई स्त्री पदाभिलाषी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी की एक पत्नी पूर्व से जीवित है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

- कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के अपराध के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, अनु-
नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
11. उम्मीदवार को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्तें म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं अथवा जारी की जावेंगे।
 12. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता की मूल अंक सूचियाँ इत्यादि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 13. आवेदक को आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर पदस्थी स्थान (कार्यालय) में अनिवार्य रूप से उपस्थिति होकर, कार्यालय प्रमुख को उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
 14. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों का लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाएँ और उन्हें लागू किया जाये के अध्यधीन रहेगा।
 15. उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
 16. MAP-IT से CPCT Score card तथा कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण-पत्र म.प्र. शासन सा.प्र.वि. के पत्र क्रमांक सी-3-8/2003/1/3 दिनांक 01.07.2013 में उल्लेखित (1) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, (2) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, (3) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, (4) शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजेंट कौर्स, (5) शासकीय आई.टी. आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग अस्टिंट (COPA) प्रमाण-पत्र में से किसी एक संस्था से उतीर्ण किये जाने हेतु शासकीय सेवक की धर्मपत्नी के लिये 3 वर्ष की अवधि निर्धारित है तथा अन्य आश्रितों के लिये 01 वर्ष की समय सीमा निर्धारित है। दी गई अवधि में निर्धारित संस्थानों से परीक्षा उतीर्ण न करने की स्थिति में आपकी सेवाये स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक: 24/03/2021

पृष्ठा क्र./कु.स./स्था.दो/2021/4806

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, खण्डवा संदर्भित अनुकम्पा नियुक्ति का आदेश सशर्त जारी किया गया है। अतः चयनित दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को शासकीय सेवा में उपस्थित कराने के पूर्व पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में शपथ-पत्र/पूर्व से आवेदक के शासकीय सेवा में नहीं होने एवं दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय/सेवा/निगम, मण्डल, परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नहीं होने एवं दिवंगत शासकीय शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण-पोषण करने एवं नियुक्ति प्राप्त करने वाली महिला यदि अविवाहित है तो उन्हें शादी-शुदा नहीं होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही कार्यालय में उपस्थिति मान्य करें। यदि यह पाया गया कि वांछित अभिलेखों के अभाव में आपने किसी अभ्यार्थी को नियुक्ति पश्चात् उपस्थित करा लिया है, जो कि नियमानुसार पात्रता नहीं रखता है ऐसी स्थिति में आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराये जायेंगे एवं गलत व्यक्ति को शासकीय सेवा में उपस्थित कराये जाने के फलस्वरूप आपके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं अपात्र व्यक्ति को भुगतान की गई राशि आपसे व्यक्तिगत वसूली योग्य होगी।
4. उप लेखानियंत्रक, भविष्य निधि/अनुभाग अधिकारी/सामान्य/पेंशन/बजट एवं वित्त/गोपनीय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर
6. श्री चेतन जोशी 75 देवपुरी कॉलानी, कनाडिया रोड़ इन्दौर 452016 (म०प्र०)
7. निजसचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. आदेश नस्ती/सुरक्षा नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

कुलसचिव



कुलसचिव

कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

(7)

Ph.: 0751-2970519 (0) 0751-2970522 (Fax)
E-mail- registrar.rvskvv09@gmail.com

क्र./कु.स./स्था.-दो/2023/963

दिनांक: 10/04/2023

// आदेश //

कुलसचिव, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर का पत्र क्रमांक No./Estt. II/FEO/158/300 Dated 28-03-2023 द्वारा कु. दीपा मालवीय, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रक्षेत्र प्रबंध विभाग, कृषि महाविद्यालय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर की सेवायें राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अंतर्गत संचालित कृषि महाविद्यालय, इंदौर को एक वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है। विश्वविद्यालय में कु. दीपा मालवीय, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी द्वारा अपनी उपस्थिति दिनांक 10.04.2023 को प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त आदेश के क्रम में कु. दीपा मालवीय, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी को विश्वविद्यालय मुख्यालय से कृषि महाविद्यालय, इंदौर में कार्य पर उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है।
(माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार)


कुलसचिव

दिनांक 10/04/2023

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था.-दो/2023/964

प्रतिलिपि-सूचनार्थ

1. कुलसचिव, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, जबलपुर।
3. अधिष्ठाता कृषि संकाय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
4. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, इंदौर।
6. लेखा नियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
7. सहायक कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. कु. दीपा मालवीय, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी की ओर पालनार्थ।
9. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
10. व्यक्तिगत नस्ती/सुरक्षा नस्ती।


कुलसचिव

(9)

JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHWA VIDYALAYA,
JABALPUR

-: O R D E R :-

No.Estt.II/B/2K442n/

Dated, the 25 Nov., 2000

The following persons are appointed as Peon in the Scale of Pay Rs. 2550-55-2660-60-3200/- (Class-IV) on compassionate ground and posted at the places shown against their names, temporarily, until further orders, with effect from the dates they report on duty on the terms and conditions appended :-

S.No.	Name	Catagory	Place of posting
1	2	3	4
1.	Shri Manoj Kewat, S/o Late Shri Ramlal Kewat, Purani Basti, Adhartal, Jabalpur.	General	Deptt. of Maths & Statistics, Jabalpur
2.	Ku. Sangita Bhadoria, D/o Late Shri Laxman Singh Bhadoria, Dairy Farm, Krishi Mahavidyalaya, Race Course Road, Infront of Mela Ground, Gwalior.	General	Krishi Vigyan Kendra, Aron (Guna)-
3.	Shri Narendra Singh Bhooria, S/o Late Shri Limbi Singh Bhooria, Khandwa Naka, Zonal Agril. Research Centre, Khargone - 451001	S.T.	Krishi Vigyan Kendra, Khandwa
	Smt. Meera Devi Pasi, W/o Late Shri Raja Bhaiya Pasi, 1702, Baldi Kori Ki Dafai, East Chamapur, Jabalpur	S.C.	AICRP on Poultry, L.S.F., Adhartal, Jabalpur
5.	Shri Gagan Vairagi, S/o Late Shri Vishnu Das Varagi, H.No.382, L.I.G.Sector 'B', Scheme No.71, Indore.	OBC	Krishi Vigyan Kendra, Rajgarh

They should report on duty at their respective places of posting within 15 days from the date of issue of this order failing which the order will be treated as cancelled.

By order of the Vice-Chancellor,

REGISTRAR

Contd..2

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The Director of Research Services/Director of Extension Services, J.N.K.V.V., Jabalpur.
2. The Dean, College of Agricultural Engineering/Vety. Sci. & A.H., Jabalpur.
3. Head, Deptt. of Maths & Statistics, J.N.K.V.V., Jabalpur.
4. Scientist on AICRP on Poultry, L.S.F., Adhartal, Jabalpur
5. Incharge, Krishi Vigyan Kendra, Aron (Guna)/Khandwa/Rajgarh.
6. The Comptroller, J.N.K.V.V., Jabalpur.
7. The Accounts Officer (Fund)/Executive Engineer/Section Officer (C.C.), J.N.K.V.V., Jabalpur.
8. The P.S. to Hon'ble Vice-Chancellor, J.N.K.V.V., Jabalpur.
9. The Person concerned Shri/Smt. -----
10. Personal file/Guard file.


ACCOUNTS OFFICER (ESTT.)



कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./स्था.दो/2024-25/1994

दिनांक: 25/09/2024

//आदेश//

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से विश्वविद्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित कर्मचारियों को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से उनके समक्ष दर्शाये गये स्थान पर समान सामर्थ्य में स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है:

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	सुश्री अर्चना भारद्वाज कम्प्यूटर प्रोग्रामर	कार्यालय मान. कुलपति रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर	कार्यालय निदेशक शिक्षण एवं छात्र कल्याण, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर
2	श्री धीरसिंह सिकरवार प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर	क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, बागवई
3	श्री गगन बैरागी, सहायक वर्ग-3	कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर	कृषि महाविद्यालय, इन्दौर
4	श्रीमती मोनिका उपाध्याय, सहायक वर्ग-3	कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर	निदेशालय विस्तार सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर
5	कु. निकिता राजपूत, शीघ्रलेखक श्रेणी-3	निदेशालय विस्तार सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर	कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर र
6	श्री सार्थक शर्मा, सहायक वर्ग-3 सह स्टेनोटाइपिस्ट	कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर	कार्यालय अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर
7	श्रीमती प्रीती श्रीवास्तव सहायक वर्ग-3	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर	कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर
8	श्रीमती रानी कुशवाह सहायक वर्ग-3	कार्यालय निदेशक शिक्षण एवं छात्र कल्याण, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर

श्री के.एल. वर्मा, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ श्री धीरसिंह सिकरवार के स्थान पर प्रक्षेत्र का कार्य भी आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से संपादित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

कुलसचिव

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था.एक/2024-25/1995

दिनांक: 25/09/2024

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक शिक्षण/अनुसंधान सेवायें/विस्तार सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर/इन्दौर/सीहोर/खंडवा/मंदसौर।
4. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. उप/सहायक कुलसचिव, (स्थापना) रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. सह सचिव अनुसंधान, ऑ.कृ.अनु.केन्द्र, गुरैना/खरगोन/शाबुआ।
7. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र (समस्त)।
8. संबंधित
9. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
10. व्यक्तिगत/सुरक्षा नस्ती।

की ओर पालनार्थ।

कुलसचिव

आदेश

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. सी 3-13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 में निहित निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत स्व. श्री संजीव चौधरी, भूच्य, उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर का आकरिमक निधन दिनांक 05.08.2019 को होने के फलस्वरूप इनकी पुत्री कु. काजल चौधरी की अनुकम्पा नियुक्ति सहायक ग्रेड-3 के पद पर पे बैंड रु. 5200-20200+1900 (7 वेतनमान लेवल-4 में परिवीक्षा अवधि पर वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम-वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टापपेण्ड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।) में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 (तीन) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन की जाकर पदस्थापना उनकी उपस्थिति दिनांक से कार्यालय क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, उज्जैन के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना (NARP) के अधीन की जाती है।

नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबंध निम्नानुसार हैं-

1. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
2. उक्त शपथ-पत्र के अतिरिक्त सेवा में उपस्थिति प्रस्तुत करने के समय आपको यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा की पूर्व से आप शासकीय सेवा में नहीं हैं और न ही दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा/निगम, मण्डल परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नहीं है। आप दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण-पोषण करेंगे।
उपरोक्तानुसार उक्त बिन्दुओं का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आपकी उपस्थिति मान्य की जा सकेगी। शपथ-पत्र एवं उक्त बिन्दुओं की जानकारी न देने के अभाव में आपका अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों सहित पदस्थी कार्यालय में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर किसी अन्य पद पर नियुक्ति का निवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा और न ही अनुकम्पा नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित की जावेगी। यह नियुक्ति आवेदक द्वारा लिखित सहमति के आधार पर दी जा रही है।
5. नियुक्ति के पश्चात् चरित्र सत्यापन में यदि यह पाया जाता है कि वह शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है तो उसे दी गई अनुकम्पा नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
6. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जाती है कि आवेदक दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यह प्रमाणित हो जावेगा कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जावेगी।
7. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता जमा कराने पर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं, तो यह समझा जावेगा कि इन्होंने इस अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उन्हें एक माह का या नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम हो, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ता का भुगतान करना होगा।
8. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जा रही है कि चयनित अविवाहित व्यक्ति द्वारा निर्धारित आयु के बाद ही विवाह किया है। यदि यह पाया गया कि संबंधित चयनित व्यक्ति द्वारा न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया गया हो तो उसका/उसकी अनुकम्पा नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
9. कोई भी चयनित उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी कोई स्त्री पदाभिलाषी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी की एक पत्नी पूर्व से जीवित है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
10. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के अपराध के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, अनुकम्पा नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
11. उम्मीदवार को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्तें म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1981 एवं शासन आदेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं अथवा जारी किये

LESSA/A
RR
- 17/12/2021

KRISHI VIKAS
Inward No. 4782
Date 27/9/21

12. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता की मूल अंक सूचियाँ इत्यादि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. आवेदक को आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर पदरथी स्थान (कार्यालय) में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर, कार्यालय प्रमुख को उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
14. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2006 अथवा इसके बाद नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों का लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाए और उन्हें लागू किया जाये के अधीन रहेगा।
15. उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
16. MAP-IT से CPCT Score card तथा कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण-पत्र म.प्र. शासन सा.प्र.वि. के पत्र क्रमांक सी-3-8/2003/1/3 दिनांक 01.07.2013 में उल्लेखित (1) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, (2) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, (3) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, (4) शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजेंट कोर्स, (5) शासकीय आई.टी. आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग अरिस्टेंट (COPA) प्रमाण-पत्र में से किसी एक संस्था से उत्तीर्ण किये जाने हेतु शासकीय सेवक की धर्मपत्नी के लिये 3 वर्ष की अवधि निर्धारित है तथा अन्य आश्रितों के लिये 03 वर्ष की समय सीमा निर्धारित है। दी गई अवधि में निर्धारित संस्थानों से परीक्षा उत्तीर्ण न करने की स्थिति में आपकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक: 23/09/2021

पृष्ठा. क्रमांक : कु.स./स्था./अनुकम्पा/2021/1583

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
- 2 निदेशक अनुसंधान सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
- 3 अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, इन्दौर।
- 4 लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
- 5 कार्यालय क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, उज्जैन संदर्भित अनुकम्पा नियुक्ति का आदेश सशर्त जारी किया गया है। अतः चयनित दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को शासकीय सेवा में उपस्थित कराने के पूर्व पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में शपथ-पत्र/पूर्व से आवेदक के शासकीय सेवा में नहीं होने एवं दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/ अर्द्धशासकीय/सेवा/निगम, मण्डल, परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नहीं होने एवं दिवंगत शासकीय शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण-पोषण करने एवं नियुक्ति प्राप्त करने वाली महिला यदि अविवाहित है तो उन्हें शादी-शुदा नहीं होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही कार्यालय में उपस्थिति मान्य करें। यदि यह पाया गया कि वांछित अभिलेखों के अभाव में आपने किसी अभ्यार्थी को नियुक्ति पश्चात् उपस्थित करा लिया है, जो कि नियमानुसार पात्रता नहीं रखता है ऐसी स्थिति में आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराये जायेंगे एवं गलत व्यक्ति को शासकीय सेवा में उपस्थित कराये जाने के फलस्वरूप आपके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं अपात्र व्यक्ति को भुगतान की गई राशि आपसे व्यक्तिगत वसूली योग्य होगी।
6. उप लेखानियंत्रक, भविष्य निधि/अनुभाग अधिकारी/सामान्य/पेंशन/बजट एवं वित्त/गोपनीय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
7. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. कु. काजल चौधरी, 12 पीपल्पाहाना, इन्दौर, (म०प्र०) - 452001
9. निजसचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
10. आदेश नस्ती/सुरक्षा नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

कुलसचिव

(14)

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्र./कू.स./स्था.दो/2019/1267


ग्वालियर, दिनांक: 30/07/2019

// आदेश //

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर अंतर्गत पद कोड-54 सहायक ग्रेड-3 सह स्टेनोटायपिस्ट पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन भोपाल म0प्र0 द्वारा, समूह-4 के अंतर्गत प्राप्त प्रावीण्य सूची अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज सत्यापन समिति की अनुशंसा एवं कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त कु. नेहा वैद्य P/O श्री राधेश्याम वैद्य, तिकोना हनुमान मंदिर के पीछे शास्त्री वार्ड बारापत्थर, सिवनी-480661 (म.प्र.) को सहायक ग्रेड-3 सह स्टेनोटायपिस्ट के पद पर वेतनमान रु 5200-20200+1900 ग्रेड पे (पुनरीक्षित सातवें वेतनमान लेवल-4 में मूल वेतन रु 19500 + विश्वविद्यालय नियमानुसार भत्तों) पर अनुसूचित जाति (महिला) श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर उक्त पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थाई रूप से कार्यालय कुलसचिव, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-

2. नियुक्ति की शर्त एवं नियम निम्नानुसार होंगे -

1. यह नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि में अग्रिम वेतनवृद्धियाँ भी स्वीकृत नहीं की जायेंगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-सी-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवंबर 2012 के तहत नियुक्त अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं, अतः इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र उपस्थिति के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नव नियुक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवाओं पर लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
3. आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
4. नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था का मूल प्रमाणपत्र, मूल अंकसूचियाँ, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाणपत्र, म0प्र0 मूल निवासी प्रमाणपत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, संबंधित अधिकारी द्वारा सभी प्रमाण-पत्रों की जांच मूल दस्तावेजों के आधार पर पदस्थापना स्थल पर की जावेगी। यदि प्रमाण-पत्रों में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व इसकी जानकारी नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् कुलसचिव राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को दी जाकर उनसे परामर्श प्राप्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत प्रमाणपत्र सही नहीं पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. अभ्यर्थी को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्त म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए जा चुके हैं अथवा जारी किए जावेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किया गया हो।



- iv. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, परन्तु निरहित नहीं होगा यदि एक सन्तान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक सन्तान का जन्म होता है उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
15. अभ्यर्थी के शैक्षणिक/व्यवसायिक एवं अन्य प्रमाणपत्रों के प्रकरण में अनर्हता (अयोग्यता) की स्थिति प्रकट होती/बनती है, तो नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी। जिस पर दावा पेश नहीं होगा।
16. अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थिति होने की तिथि से एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक-21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार


कुलसचिव

रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक: 30/07/2019

क्र./कु.स./स्था.दो/2019/1268

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिष्ठाता, कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक शिक्षण/अनुसंधान सेवायें/विस्तार सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. सह संचालक अनुसंधान (बीज एवं प्रक्षेत्र), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. प्रभारी कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर, इन्दौर, सीहोर, खण्डवा एवं मंदसौर।
6. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
7. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. कार्यालय कुलसचिव राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर कृपया नियुक्ति आदेश की निहित शर्तों के अनुसार चयनित अभ्यर्थी के सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच उपस्थिति लेने के पूर्व अपने स्तर से सुनिश्चित करें एवं वांछित उपयुक्त अभिलेखों के अभाव में आपने किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति पश्चात् उपस्थित करा लिया है, जो कि नियमानुसार पात्रता नहीं रखता है, ऐसी स्थिति में आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
9. कु. नेहा वैद्य D/O श्री राधेश्याम वैद्य, तिकोना हनुमान मंदिर के पीछे शास्त्री वार्ड बारापत्थर, सिवनी-480661 (म.प्र.) की ओर पालनार्थ, पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है तो उस संस्था/विभाग का अनापत्ति एवं कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।
10. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
11. व्यक्तिगत/आदेश/सुरक्षा नस्ती।


30/07/19
उप कुलसचिव (स्था.)
रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

- iv. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक सन्तान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक सन्तान का जन्म होता है उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
15. अभ्यर्थी के शैक्षणिक/व्यवसायिक एवं अन्य प्रमाणपत्रों के प्रकरण में अनर्हता (अयोग्यता) की स्थिति प्रकट होती/बनती है, तो नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी। जिस पर दावा पेश नहीं होगा।
16. अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थिति होने की तिथि से एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक-21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार


कुलसचिव

रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक: 30/07/2019

क्र./कु.स./स्था.दो/2019/12-68

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिष्ठाता, कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक शिक्षण/अनुसंधान सेवायें/विस्तार सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. सह संचालक अनुसंधान (बीज एवं प्रक्षेत्र), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. प्रभारी कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर, इन्दौर, सीहोर, खण्डवा एवं मंदसौर।
6. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
7. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. कार्यालय कुलसचिव राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर कृषियों नियुक्ति आदेश की निहित शर्तों के अनुसार चयनित अभ्यर्थी के सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच उपस्थिति लेने के पूर्व अपने स्तर से सुनिश्चित करें एवं वांछित उपयुक्त अभिलेखों के अभाव में आपने किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति पश्चात् उपस्थित करा लिया है, जो कि नियमानुसार पात्रता नहीं रखता है, ऐसी स्थिति में आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
9. कृ. नेहा वैद्य D/O श्री राष्ट्रेश्याम वैद्य, तिकोना हनुमान मंदिर के पीछे शास्त्री वार्ड बारापत्थर, सिवनी-480661 (म.प्र.) की ओर पालनार्थ, पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है तो उस संस्था/विभाग का अनापत्ति एवं कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।
10. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
11. व्यक्तिगत/आदेश/सुरक्षा नस्ती।


उप कुलसचिव (स्था.)
रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

निदेशालय विस्तार सेवायें

140

राजमाला विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय

राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर - 474002 (म.प्र.)

डॉ. पी. सिंह

निदेशक विस्तार सेवायें

फोन 0751-2970512 (O), 9826564640 (M)

ई-मेल: des@rvskvv.net

क./नि.वि.से./स्था./2023/399

College of Agriculture, Gwalior
Inward No. 648
Date 26/5/2023

दिनांक : 26/05/2023

//आदेश //

विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक /कु.स./2023/1496 दिनांक 25/05/2023 के परिपालन में नेहा वैद्य, सहायक ग्रेड-3 सह स्टैनो टाईपिस्ट, को तत्काल प्रभाव से आज दिनांक 26/05/2023 को अपरान्ह में कार्यालय निदेशालय विस्तार सेवायें, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर से कार्यमुक्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि आप नवीन पदस्थापना कार्यालय कृषि महाविद्यालय, इन्दौर को अपनी उपस्थिति दें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।


निदेशक विस्तार सेवायें
DES-RVSKVV, Gwalior

दिनांक : 26/05/2023

क./नि.वि.से./स्था./2023/399

प्रतिलिपि: सूचनार्थ।

1. कुलसचिव, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर (म. प्र.)
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, इन्दौर
3. लेखा नियंत्रक, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर (म. प्र.)
4. स्थापना शाखा, कार्यालय नि. वि. से., रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर (म. प्र.)
5. नेहा वैद्य, सहायक ग्रेड-3 सह स्टैनो टाईपिस्ट, की ओर पालनार्थ।
6. निजसचिव, माननीय कुलपति जी, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर (म. प्र.)
7. व्यक्तिगत नस्ती/सुरक्षा नस्ती।


निदेशक विस्तार सेवायें
DES-RVSKVV, Gwalior

ERT


26/05/2023

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्र./कु.स./स्था.दो/2019/1249

ग्वालियर, दिनांक: 30/07/2019

//आदेश//

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर अंतर्गत पद कोड-53 शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन भोपाल म0प्र0 द्वारा, समूह-4 के अंतर्गत प्राप्त प्रावीण्य सूची अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज सत्यापन समिति की अनुशंसा एवं कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त कु. पूनम चौहान D/O शिवराम चौहान, ग्राम व पोस्ट बघाड़ी, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी-451449 (म.प्र.) को शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) के पद पर वेतनमान रु 5200-20200 + ग्रेड पे 2800 (पुनरीक्षित सातवें वेतनमान लेवल-7 में मूल वेतन रु 28700 + विश्वविद्यालय नियमानुसार भत्ते) पर अनुसूचित जनजाति (महिला) श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थाई रूप से कार्यालय लेखानियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-

2. नियुक्ति की शर्त एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

1. यह नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि में अग्रिम वेतनवृद्धियाँ भी स्वीकृत नहीं की जायेंगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-सी-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवंबर 2012 के तहत नियुक्त अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं, अतः इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र उपस्थिति के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नव नियुक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन शासकीय संदर्भों पर लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
3. आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
4. नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था का मूल प्रमाणपत्र, मूल अंकसूचियाँ, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाणपत्र, म0प्र0 मूल निवासी प्रमाणपत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, संबंधित अधिकारी द्वारा सभी प्रमाण-पत्रों की जांच मूल दस्तावेजों के आधार पर पदस्थापना स्थल पर की जावेगी। यदि प्रमाण-पत्रों में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व इसकी जानकारी नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् कुलसचिव राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को दी जाकर उनसे परामर्श प्राप्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत प्रमाणपत्र सही नहीं पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. अभ्यर्थी को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्त म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए जा चुके हैं अथवा जारी किए जावेगे जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किया गया हो।

Angurhal

Self attested
Shukhan

iv. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक सन्तान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक सन्तान का जन्म होता है उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

15. अभ्यर्थी के शैक्षणिक/व्यवसायिक एवं अन्य प्रमाणपत्रों के प्रकरण में अनर्हता (अयोग्यता) की स्थिति प्रकट होती/बनती है, तो नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी। जिस पर दावा पेश नहीं होगा।

16. अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थिति होने की तिथि से एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक-21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार


कुलसचिव

रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक: 30/07/2019

क्र./कु.स./स्था.दो/2019/1250

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिष्ठाता, कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक शिक्षण/अनुसंधान सेवायें/विस्तार सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. सह संचालक अनुसंधान (बीज एवं प्रक्षेत्र), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. प्रभारी कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर, इन्दौर, सीहोर, खण्डवा एवं मंदसौर।
6. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
7. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. कार्यालय लेखानियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर कृपया नियुक्ति आदेश की निहित शर्तों के अनुसार चयनित अभ्यर्थी के सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच उपस्थिति लेने के पूर्व अपने स्तर से सुनिश्चित करें एवं वांछित उपयुक्त अभिलेखों के अभाव में आपने किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति पश्चात् उपस्थित करा लिया है, जो कि नियमानुसार पात्रता नहीं रखता है, ऐसी स्थिति में आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
9. कु. पूनम चौहान D/O शिवराम चौहान, ग्राम व पोस्ट बघाड़ी, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी-451449 (म.प्र.) की ओर पालनार्थ, पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है तो उस संस्था/विभाग का अनापत्ति एवं कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।
10. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
11. व्यक्तिगत/आदेश/सुरक्षा नस्ती।


उप कुलसचिव (स्था.)
रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर
30/07/19

Self attested


राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कृ.स./स्था.-दो/2016/5399

ग्वालियर, दिनांक: 03/08/2016

// आदेश //

चयन समिति की अनुशंसा एवं कुलपतिजी के अनुमोदनोपरान्त श्री प्रकाश वास्केल S/o श्री नानुराम वास्केल, ग्राम-दाभड़, पोस्ट-पंगारा, तह.-मनावर, जिला-धार 454449 (म.प्र.) को उपयंत्री (सिविल) के पद पर वेतनमान रु. 5000-150-8000 (Revised Pay Scale PB 9300-34800+GP 3200) पर अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थायी रूप से कार्यपालन यंत्री, वर्क सेक्शन, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के अंतर्गत अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, खण्डवा के अधीन निम्नलिखित शर्तों के तहत पदस्थ किया जाता है:-


2. नियुक्ति की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

- (अ) आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र जॉचोपरान्त गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- (ब) इस आदेश के प्रसारित होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देवे, अन्यथा ये आदेश बिना सूचना के स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- (स) यह नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि समाप्त कर कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियुक्ति नियमित की जा सकेगी तथा तत्पश्चात ही आगामी वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परिवीक्षा अवधि में उपयंत्री (सिविल) के पद का न्यूनतम वेतनमान देय होगा।
- (द) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह के वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती है यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील रहेगी।
- (इ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति होने के तत्संबंधित सक्षम अधिकारी को अर्हता संबंधित मूल दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण-पत्र, म.प्र. मूल निवासी प्रमाण-पत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (क) उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह की समयावधि में जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
- (ख) उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराया जावेगा। यदि चरित्र संबंधी प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के समाप्त की जावेगी।
- (ग) उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
- (घ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति होने की तिथि से एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।

- 1) उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम के विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तें तथा समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
- 2) उपरोक्त पद पर नियुक्ति कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 01 जनवरी 2005 प्रभावशील होगी।
- 3) उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली किसी भी इकाई/योजना को स्थानांतरित की जा सकेगी।
- 4) नियुक्ति उपरांत, आवेदक की नियुक्ति से संबंधित कोई भी दस्तावेज यदि फर्जी या गलत पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।

मागित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पेशेदार वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक-21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार


(एम.आर. जाटव)
कुलसचिव

ग्वालियर, दिनांक: 03/08/2016

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था.-दो/2016/5400

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता, कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक शिक्षण/अनुसंधान सेवायें/विस्तार सेवायें/योजना एवं प्रक्षेत्र विकास एवं प्रभारी कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, खण्डवा कृपया नियुक्ति आदेश की शर्तों के अनुसार श्री प्रकाश वारकेल के सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच उपस्थिति लेने के पूर्व अपने स्तर से सुनिश्चित करें।
4. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. श्री प्रकाश वारकेल S/o श्री नानुराम वारकेल, ग्राम-दाभड़, पोस्ट-पगारा, तह.-मनावर, जिला-धार 454449 (म.प्र.) की ओर पालनार्थ पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है तो उस संस्था/विभाग का कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे, अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।
7. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. व्यक्तिगत/आदेश/सुरक्षा नस्ती।


उप कुलसचिव (स्था.)



कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.)

कुलसचिव

Ph- : 0751-2970519

E-mail- registrar@rvskvv.net

क्र./कु.स./स्था.दो/2025-26/686

दिनांक: 06-06-2025

// आदेश //

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कार्यालय/महाविद्यालय में पदस्थ निम्नलिखित कर्मचारियों को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये नवीन पदस्थापना स्थल पर समान सामर्थ्य में स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है:-

स. क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	श्री संजय चौधरी, उपयंत्री (सिविल)	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर	कृषि महाविद्यालय, खण्डवा
2.	श्री आशीष मिश्रा, उपयंत्री (सिविल)	कृषि महाविद्यालय, इंदौर	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर
3.	श्री प्रकाश वास्केल, उपयंत्री (सिविल)	कृषि महाविद्यालय, खण्डवा	कृषि महाविद्यालय, इंदौर
4.	श्री महेन्द्र जोशी, उपयंत्री (सिविल)	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर	कृषि महाविद्यालय, सीहोर
5.	श्री किशोर कुमार वाल्के, उपयंत्री (सिविल)	कृषि महाविद्यालय, सीहोर	उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार)

कुलसचिव

दिनांक: 06-06-2025

पृष्ठा क्र./कु.स./स्था.दो/2025-26/687

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर/इंदौर/सीहोर एवं खण्डवा।
5. अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर।
6. उप/सहायक कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
7. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी.....।
8. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
9. व्यक्तिगत सुरक्षा नस्ती।

कुलसचिव